

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1587 / 2006 / भरतपुर.

मैसर्स अमित इण्डस्ट्रीज, भरतपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, भरतपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री ओ. पी. गुप्ता, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन. के. बैद,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.


निर्णय दिनांक : 22 / 09 / 2016

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी ने उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 107 / उपा-भरत / 04-05 / आरएसटी / सीएसटी में पारित किये गये आदेश दिनांक 23.04.2005 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश के द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, भरतपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के कर निर्धारण वर्ष 2001-02 के लिये केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 9 सपटित धारा 29(6) राजस्थान विक्रय कर अधिनियम 1994 के अन्तर्गत पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 24.03.2004 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील को अस्वीकार करते हुए, अपीलार्थी को सेटऑफ का हकदार नहीं माना गया है। अपील में सेटऑफ के बिन्दु को विवादित किया गया है।


2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि कर निर्धारण वर्ष 2001-02 में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा रूपये 29,045 / - का सेटऑफ का दावा किया गया था। कर निर्धारण अधिकारी ने बिलों पर कोई कर वसूल नहीं करने के कारण सेटऑफ देय होना नहीं माना। अपीलार्थी व्यवहारी बिक्री कर प्रोत्साहन योजना 1998 के तहत दिनांक 06.03.2002 से 11 वर्ष के लिये कर मुक्ति लाभ स्वीकृत किया गया है तथा प्रथम वर्ष होने के कारण कर दायित्व के 100 प्रतिशत की सीमा तक कर भुगतान से छूट है।

3. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने बहस में कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी ने राज्य के भीतर से पंजीकृत व्यवहारियों से 2 प्रतिशत कर का भुगतान करते हुए सरसों की खरीद की तथा खरीद की गई सरसों से खाद्य तेल का निर्माण किया तथा निर्मित खाद्य तेल को अन्तर्राज्यीय व्यापार के



लगातार.....2

क्रम में विक्रय किया गया। दिनांक 22.03.2002 से 31.03.2002 की अवधि में खाद्य तेल की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर 2 प्रतिशत की दर से कर देय था। अपीलार्थी व्यवहारी ने अधिसूचना क्रमांक एफ.4(69)एफडी/टैक्स डिवी./95-45 दिनांक 15.03.1996 की पालना में 2 प्रतिशत की दर से राज्य के भीतर रुपये 58,090/- के कर का भुगतान किया तथा खरीदी गयी सरसों से दिनांक 22.03.2002 से 31.03.2002 के लिये खाद्य तेल के विनिर्माण में काम में लिया गया। इस विनिर्मित खाद्य तेल को अन्तर्राज्यीय व्यापार के क्रम में बेचा गया जिस पर दिनांक 22.03.2002 से 31.03.2002 की अवधि के लिये अधिसूचना क्रमांक एफ.4(1)एफडी/टैक्स डिवी./97-121 दिनांक 12.03.1997 के तहत 2 प्रतिशत की दर से कर देय था। इसी अवधि में अपीलार्थी व्यवहारी ने अन्तर्राज्यीय व्यापार के क्रम में खाद्य तेल का विक्रय रुपये 23,62,676/- का किया। अपीलार्थी व्यवहारी अधिसूचना क्रमांक एफ.34(30)एफडी/टैक्स डिवी./2002-186 दिनांक 22.03.2002 के तहत अन्तर्राज्यीय व्यापार के क्रम में खाद्य तेल बेचा जिस पर वह राज्य से खरीद किये गये सरसों पर 1 प्रतिशत की दर से सेटऑफ के लिये हकदार है। अपीलार्थी व्यवहारी को सी.एस.टी. बिक्री कर मुक्ति योजना 1998 के तहत कर मुक्ति का लाभ दिनांक 06.03.2002 से दिया गया। प्रथम वर्ष होने के कारण अपीलार्थी व्यवहारी को दिनांक 22.03.2002 से 31.03.2002 कर निर्धारण वर्ष 2001-02 के लिये कर दायित्व के 100 प्रतिशत सीमा तक कर भुगतान से छूट उपलब्ध थी। अपीलार्थी व्यवहारी ने उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 22.03.2002 की पालना में रुपये 29,045/- के सेटऑफ का दावा किया। (यह दावा राज्य के भीतर पंजीकृत व्यवहारियों से की गई खरीद पर चुकाये गये कर राशि रुपये 58,090/- में से की गई। दिनांक 22.03.2002 की अधिसूचना के अनुसार अन्तर्राज्यीय व्यापार के क्रम में किये गये खाद्य तेल की बिक्री राशि रुपये 23,62,676/- पर रुपये 47,253/- के कर भुगतान का दायित्व था। अन्तर्राज्यीय व्यापार के क्रम में किये गये विक्रय पर कर दायित्व राशि रुपये 47,253/- में रुपये 29,045/- के सेटऑफ की मांग दिनांक 22.03.2002 के तहत की गई है तथा शेष राशि रुपये 18,208/- के लाभ की मांग सी.एस.टी. बिक्री कर मुक्ति योजना 1998 के तहत की गई है। अपीलार्थी व्यवहारी ने दिनांक 22.03.2002 की अधिसूचना की समस्त शर्तों की पालना की है। बहस में अग्रिम कथन किया की कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण वर्ष 2001-02 केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अधीन पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 24.03.2004 में अधिसूचना दिनांक 22.03.2002 के अनुसार सेटऑफ की मांग को अस्वीकार किया है। सेटऑफ की मांग अस्वीकार



लगातार.....3

करने का कारण यह बताया है कि अपीलार्थी व्यवहारी ने सी.एस.टी. बिक्री बिलों में दिनांक 22.03.2002 से 31.03.2002 की अवधि में कोई कर वसूल नहीं किया है। कर निर्धारण अधिकारी ने सी.एस.टी. के तहत देय कर राशि रुपये 47,253/- को सी.एस.टी. बिक्री कर मुक्ति योजना 1998 के तहत कर मुक्ति का लाभ दिया है। अपीलीय अधिकारी ने अपील इस आधार पर अस्वीकार की है कि अपीलार्थी व्यवहारी का सी.एस.टी. में कोई कर देयता नहीं थी तथा अपीलार्थी को अधिसूचना दिनांक 22.03.2002 के तहत 1 प्रतिशत की दर से सेटऑफ का लाभ देय नहीं है। अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने राजस्थान कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 825 / 2008 / अलवर व 971 / 2008 / अलवर में दिये गये निर्णय दिनांक 24.09.2015 न्यायिक दृष्टान्त 43 टैक्स अपडेट पेज 203 प्रस्तुत किया। अपीलीय अधिकारी के आदेश को त्रुटिपूर्ण बताया तथा अपील स्वीकार करने की मांग की गई।

4. प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया तथा अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गई है।


5. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में विवादित बिन्दु यह है कि क्या अपीलार्थी व्यवहारी को कर निर्धारण वर्ष 2001-02 की अवधि में सी.एस.टी. बिक्री कर मुक्ति योजना 1998 में 100 प्रतिशत कर दायित्व सीमा तक कर से छूट होने के कारण दिनांक 22.03.2002 की अधिसूचना के तहत सेटऑफ का लाभ देय होगा अथवा नहीं ?

6. प्रकरण के निस्तारण के क्रम में तीन अधिसूचनाएं दिनांक 15.03.1996, 12.03.1997 व 22.03.2002 का अध्ययन आवश्यक है। तीनों अधिसूचनाएं निम्न प्रकार हैं-

(A) S.No. 1049 : F.4(69)FD/Tax Divn/95-45 dated 15.03.1996

S.O.280-In exercise of the powers conferred by S.15, RST Act, 1994, and in supersession of this depts. notfn No.F.4(8)FDGr.IV/94-57, dated 07.03.1994 [S.No. 923], the State Govt. [1] hereby, exempts from tax under the said Act, the sale or purchase of oilseeds for being used as raw material in the manufacture of edible or non-edible oil in the State to the extent to which the rate of tax in respect thereof exceeds 2% on the following conditions, namely :-

(1) That such manufactured edible oil is sold by the manufacturer thereof within the State or in the course of inter-State trade or commerce; and



लगातार.....4

(2) That such purchasing manufacturer furnishes a declaration in form ST 17 to the selling dealer.

This shall have immediate effect.

(B) S.No. 1090 : F.4(1)FD/Tax Divn/97-121 dated 12.03.1997

S.O. 319.- In exercise of the powers conferred by S.8(5), CST Act, 1956, and in supersession of this Department notfn No. F.4(1) FD/Tax Divn/97-47 dated 15.03.1996

(as amended from time to time) [S.No. 1051], the State Govt. [4] hereby directs that the tax payable under sub-sections (1) and (2) of the said section, by any dealer having his place of business in the State, in respect of sale of edible oil including solvent extracted oil and castor oil made by him from any such place of business in the course of inter-State trade or commerce, shall be calculated at the rate of 2%

(C) S.No. 1574 : F.4(30)FD/Tax Div/2002-186 dated 22.03.2002


S.O. 433.- In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No. 74 of 1956), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby with immediate effect, allows a dealer manufacturing edible oil in the State of Rajasthan, to claim partial exemption of tax paid in the State on purchase of oilseeds, to the extent it exceed one percent, **from the tax payable on edible oil so manufactured and sold in the course of inter-State trade or commerce**, in the manner and subject to the conditions as follow:-

(i) that such exemption shall be allowed only to the extent exceeding one percent of tax paid under the Act, in relation to his purchases of oilseed from the registered dealers of the State and utilised by him as raw material in the manufacture of edible oil within the State;

(ii) that such exemption shall be allowed in respect of the edible oil so manufactured in the State, only to the extent such edible oil is sold in the course of inter-State trade or commerce;


(iii) that the dealer shall prove the actual amount of tax paid under the Act on the oilseed so used, to the satisfaction of the assessing authority; and in the absence of such proof such amount may be determined by reducing his purchase price by a percentage equal to ten, plus the rate of tax notified under section 4 of the Rajasthan Sales Tax Act, 1994, in respect of such goods; and

(iv) that **no refund of the tax paid on oilseed shall be available under this notification.**



लगातार.....5

7. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया। हस्तगत प्रकरण में तथ्यात्मक व विधिक भिन्नता के कारण अपीलार्थी को उक्त न्यायिक दृष्टान्त से कोई सहायता नहीं मिलती है। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि कर निर्धारण वर्ष 2001-02 के केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 9 सपठित धारा 29(6) राजस्थान विक्रय कर अधिनियम 1994 में आदेश दिनांक 24.03.2004 में रूपये 7,393/- का खल की बिक्री पर कर दायित्व निर्धारित किया गया है। खाद्य तेल की बिक्री पर निर्धारित कर राशि रूपये 8,030/-, 8,040/- व 1,17,187/- को बिक्री कर मुक्ति योजना 1998 के तहत कर लाभ स्वीकृत किया गया है। सारांश रूप में कर निर्धारण वर्ष 2001-02 में सी.एस.टी. में खाद्य तेल की बिक्री पर भुगतान करने योग्य कोई कर राशि नहीं है।
8. दिनांक 22.03.2002 की अधिसूचना के अध्ययन से स्पष्ट है कि सेटऑफ का लाभ सीएसटी एक्ट में खाद्य तेल की बिक्री पर होने वाले कर दायित्व के विरुद्ध ही देय होगा। वर्ष 2001-02 में सी.एस.टी. कर दायित्व रूपये 7,393/- खल की बिक्री पर है। आलौच्य अवधि में दावाकृत सेटऑफ राशि रूपये 29,045/- है। अधिसूचना में सशर्त छूट दी गई है तथा इस अधिसूचना की शर्त संख्या IV के तहत कोई रिफण्ड देय नहीं होगा।
9. प्रकरण की समग्र तथ्यात्मक व विधिक विवेचना के पश्चात यह निष्कर्षित किया जाता है कि अपीलार्थी व्यवहारी को दावा किये गये सेटऑफ राशि रूपये 29,045/- में से चूंकि खाद्य तेल की बिक्री पर सी.एस.टी. में कोई कर दायित्व नहीं है, अतः कोई सेटऑफ देय नहीं होगा।
10. अपीलार्थी की अपील उपरोक्त विवेचना के साथ अस्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण अस्वीकार की जाती है।
11. निर्णय सुनाया गया।


22/03/2016
(मनोहर पुरी)
सदस्य